मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष

राज्य के आम जरूरतमंद, असाध्य रोग से ग्रसित रोगियों के लिये जिनका प्रतिवर्ष आय एक लाख रूपये से कम है– '' मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान देने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, जिसकी प्रारम्भिक पूँजी 5.0 करोड़ रूपये की होगी। इस सहायता कोष से निम्नलिखित असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु कंडिका–'3' एवं '4' में अंकित राशि अनुदान के रूप में दी जा सकेगी:–

	रोगों का नाम	अनुदान की राशि रूपये में	
		राज्य के अन्दर चिकित्सा	राज्य के बाहर चिकित्सा
	{2}	{3}	{4}
कैंसर रोग	शल्य चिकित्सा सहित	40000	60000
	शल्य चिकित्सा रहित	20000	25000
हृदय रोग	डी0भी0आर0		130000
	AVR एम0 भी0 आर0	90000	91000
	PACE MAKER	50000	50000
	एसटोनेसिस/बैलुनभ एसटोसी	25000	25000
	CABG	60000	60000
	PTCA	85000	85000
	ASD	35000	37000
गुर्दा रोग	शल्य चिकित्सा सहित		150000
ब्रेन ट्यूमर	लघु शल्य क्रिया	15000	15000
	वृहत शल्य क्रिया	25000	25000
एड्स		50000	50000
टोटल हिप अथवा नी रिपलेसमेन्ट		15000	20000
स्पाईनल सर्जरी		10000	15000
मेजर वासकुलर सर्जरी		20000	25000
बोन मैरो ट्रान्सप्लान्ट		25000	25000

-

इस सूची में अंकित अन्य रोगों के अतिरिक्त किसी अन्य रोग को भी मान्य करने के लिए निदेशक प्रमुख की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लेगी। असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति को भुगतेय अनुदान की राशि संबंधित चिकित्सा संस्थान को रेखांकित चेक के माध्यम से दी जाएगी।

अनुदान प्राप्ति हेतु न्यूनतम आवश्यक अर्हताएँ

(क) रोगी बिहार का नागरिक हो।

(ख) रोगी की प्रति वर्ष आय एक लाख रूपये से कम हो।

(ग) रोगों से संबंधित चिकित्सा राज्य सरकार के अस्पताल एवं सी०जी०एच०एस० से मान्यता प्राप्त सभी अस्पताल में हो।

रोगी द्वारा अनुदान प्राप्ति के क्रम में दिए जाने वाले आवश्यक कागजात की सूची

(क) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र।

(ख) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय प्रमाण–पत्र।

(ग) राज्य सरकार के अस्पताल अथवा सी०जी०एच०एस० से मान्यता प्राप्त अस्पताल का चिकित्सा पूर्जा एवं मूल प्राक्कलन ।

नोट :– 1. आय प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकरी या अनुमंडल पदाधिकारी या अंचलाधिकरी से ही प्राप्त होना चाहिए।

2. आवेदक को सभी उपर्युक्त कागजात के साथ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को अनुदान हेतु आवेदन समर्पित करना होगा।

-